

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर


क्रमांक : 1097

दिनांक : 12-8-2013

-: कार्यालय आदेश :-


राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Act' 2012) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 दिनांक 26.01.2013 से प्रभावी कर दिये गये है। अधिनियम की धारा 3 (2) के क्रम में शासन सचिव वित्त (बजट) वित्त (जी. एण्ड टी.) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 04.02.13 परिपत्र संख्या 03/2013 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा द्वितीय अपीलीय अधिकारी परिशिष्ट- 'अ' के अनुसार होंगे।


उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।


आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-I/II/III/AVSLC/P&M, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त- I/II/III-जयपुर/ I/II-जोधपुर/अलवर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर, राजस्थान आवासन मण्डल।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड....., राजस्थान आवासन मण्डल।
8. रक्षित पत्रावली।

 ACP



मुख्य अभियन्ता

RAJASTHAN HOUSING BOARD : JAIPUR

परिशिष्ट-अ

Formation of Appealent Authority (Chapters 7)

S. No.	Procurement entity	Ist Appealent Authority	IInd Appealent Authority
1.	Resident Engineer	Dy. Housing Commissioner	Addl. Chief Engineer
2.	Dy. Housing Commissioner	Addl. Chief Engineer	Chief Engineer
3.	Addl. Chief Engineer	Chief Engineer	Housing Commissioner
4.	Chief Engineer	Housing Commissioner	Chairman RHB
5.	Works committee	RHB Board	UDH Department (Government of Rajasthan)
6.	Board	Secretary incharge of UDH Department	Minister UDH


Dy. H. C. & T. A. to
Chief Engineer -
R.H.B., JAIPUR